

सविकि पुलसि वोलेंटयिर्स

स्रोत: द हट्टि

कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद पूरे भारत में व्यापक वरिध प्रदर्शन हुए हैं। इस घटना का आरोपी एक सविकि पुलसि वोलेंटयिर (CPV) है, जिसकी अस्पताल के संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुँच थी, जो अन्य वोलेंटयिर्स की गिराणी और भूमिकाओं के वषिय में गंभीर चत्ताएँ उत्पन्न करता है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में सविकि पुलसि वोलेंटयिर्स या रूरल पुलसि वोलेंटयिर्स के नाम से जाने जाने वाले ये संवदि करमी पुलसि द्वारा सहायता हेतु नयुक्त कयि जाते हैं, वशिष रूप से यातायात प्रबंधन और अन्य छोटे-मोटे कार्यों में जनिमें पुलसि करमयिों की आवश्यकता नहीं होती है।
 - उन्हें औपचारिक कानून प्रवर्तन कार्यों जैसे जाँच करने या गरिफ्तारी करने के लयि प्रशक्ति नहीं कयि जाता है।
 - पश्चिम बंगाल में CPV के लयि अरहता प्राप्त करने हेतु वयक्त को स्थानीय नविसी होना चाहयि, उसकी आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहयि, उसने आठवीं कक्षा (आरंभ में दसवीं कक्षा) उत्तीर्ण की हो तथा उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहयि।
- कानूनी और न्यायिक चत्ताएँ: चंद्रकांत गांगुली बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य, 2016 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सविकि पुलसि वोलेंटयिर्स की भरती और कानूनी वैधता के वषिय में चत्ता जताई थी, जसिमें जाँच प्रक्रिया (पृष्ठभूमि जाँच) से संबंधित मुद्दों का उल्लेख कयि गया था।
 - उच्च न्यायालय एवं पुलसि प्रशासन ने कहा है कि CPV को ऐसी भूमिकाओं से प्रतबंधित करने के आदेशों के बावजूद वे कानून प्रवर्तन करतव्यों में शामिल रहे हैं, जसिसे कानूनी चत्ताएँ और बढ़ गई हैं।
- आलोचनाएँ: CPV द्वारा अपनी भूमिका का अतिक्रमण करने तथा आपराधिक गतविधियों में संलपित होने की अनेक रपिर्टें प्राप्त हुई हैं।
 - आलोचकों का तर्क है कि CPV की नयुक्त कभी-कभी योग्यता के बजाय राजनीतिक नषिठा के आधार पर की जाती है, जसिसे पुलसि बल के राजनीतिकरण और हत्तियों के टकराव की आशंका उत्पन्न होती है।

और पढ़ें: [कमयुनटी पुलसिगि](#)